मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण (सी.जी.डी.) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025

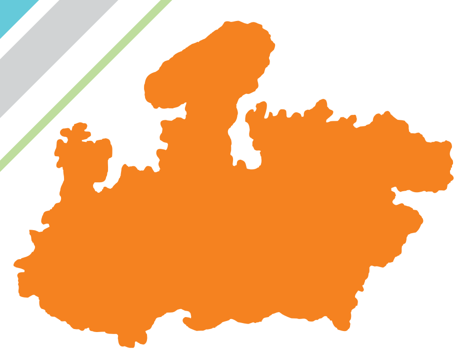

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मध्य प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 को लागू कर रही है। इस नीति के तहत, राज्य मे प्राकृतिक गैस (PNG) और कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (CNG) के वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे घर-घर स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना और मध्य प्रदेश को भारत के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना है।

मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण(सी.जी.डी.) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विषय – सूची

स. क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अवधारणा	1-5
2	सीजीडी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति के उद्देश्य	5-6
3	सीजीडी संस्थाओं के दायित्व	6
4	सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास से रोजगार एवं प्रशिक्षण की स्थिति	7
5	सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियाँ	8-13
6	ऑनलाइन अनुमति प्रणाली	13
7	सिटी गैस वितरण के विकास हेतु भूमि की आवश्यकता	13
8	भूमि आवंटन की प्रक्रिया	14
9	सीजीडी संस्थाओं द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल या डक्ट बिछाये जाने की प्रक्रिया	14
10	योजना स्तर पर सीजीडी नेटवर्क का प्रावधान	14-15
11	सीएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन के रूप में अपनाना	15-16
12	गैस पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा	16-18
13	शहरी गैस वितरण नेटवर्क की कार्यान्वयन/निगरानी समिति	18-22
14	शिकायत निवारण तंत्र	22
15	पॉलिसी की वैधता	22
16	परिभाषाएँ परिशिष्ट-1	23-25
17	सीजीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम परिशिष्ट-2	26
18	सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियों हेतु समय-सीमा परिशिष्ट -3	27-28

1. अवधारणा-

1.1.1 भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, और देश में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए, ईंधन मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा, प्राकृतिक गैस एक वैकल्पिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्रदान कर रही है।

1.1.2 भारत सरकार (GOI) ने प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और 2030 तक देश की प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने विभिन्न शहरों और कस्बों में CGD नेटवर्क स्थापित करने के लिए अधिकृत संस्थाओं को मंजूरी दी है, जिससे प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ाया जा सके।

1.1.3 CGD परियोजना को भारत सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में वर्गीकृत किया है। यह परियोजना पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग तथा परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, यह उद्योगों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी।

1.1.4 मध्य प्रदेश की CGD नीति का उद्देश्य घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वच्छ और किफायती ईंधन उपलब्ध कराना, शहरों में प्रदूषण स्तर को कम करना, CGD संचालन को सुचारू बनाना, आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करना, तथा भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। साथ ही, यह नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने और निर्माण, इंजीनियरिंग, रखरखाव और ग्राहक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करती है।

1.2 पृष्ठभूमि-

1.2.1 भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006 अधिसूचित किया गया है, जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी अधोसंरचना

के विकास हेतु सीजीडी संस्थाओं को बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राधिकृत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है-

I उक्त भौगोलिक क्षेत्र मे किसी जिले का एक हिस्सा, पूरा जिला या एक से अधिक जिले शामिल हैं।

II प्राधिकृत सीजीडी संस्था पीएनजीआरबी द्वारा सुनिश्चित एक न्यूनतम कार्य योजना के लक्ष्यानुसार कार्य करेगी, जिसमे स्टील पाइप लाइन नेटवर्क (किलोमीटर इंच) सीएनजी स्टेशन तथा घरेलू पीएनजी कनेक्शन की स्थापना शामिल है ।सीजीडी परियोजनाएं एक समय बद्ध परियोजनाएं हैं तथा इस न्यूनतम कार्य योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने की दशा में जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

III सीजीडी संस्था को उनके भौगोलिक क्षेत्र हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्र के आधार पर एक निश्चित समयावधि के लिए एक्सक्लूसिव मार्केटिंग अधिकार उपलब्ध रहेगें।

1.2.2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए दिनांक 20.12.2006 को भारत सरकार द्वारा नीति अधिसूचित की गई है। उक्त नीति का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के माध्यम से, शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में निवेश को बढ़ावा देना, पाइपलाइन नेटवर्क में सभी प्रतिभागियों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर खुली पहुंच की सुविधा प्रदान करना, संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे किसी भी संस्था द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग न हो और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गैस की उपलब्धता और उचित दरों के संदर्भ में उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित किया जा सके।

भारत सरकार की नीति राज्यों के लिए सीजीडी संस्थाओं द्वारा सीजीडी नेटवर्क के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर करती है, जो निम्नानुसार है-

I. मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित शहरों और गांवों के नियोजन क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों के लिए भूमि/भूखंडों का सीमांकन।

II. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सड़क के रेस्टोरेशन और समयबद्ध अनुमति के लिए मानक अनुमति शुल्क निर्धारित करना।

III. आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के वास्तुशिल्प डिजाइन में गैस पाइपलाइन के

बुनियादी ढांचे को शामिल करना।

IV. सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कॉलोनियों में पीएनजी का प्रावधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश जारी करना।

1.3 लाभ-

I. स्वच्छ, हरित और कम प्रदूषणकारी ईंधन की उपलब्धता, ग्रीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार करना और अपने नागरिकों पर वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना।

II. सिटी गैस वितरण घरों, वाणिज्यिक उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा का निर्बाध, सुविधाजनक और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है।

III. यह ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को बढ़ाता है।

IV. यह आर्थिक विकास का समर्थन करता है।

V. यह प्रत्येक जिले में भारी पूंजी निवेश द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है।

VI. यह रोजगार सृजन करता है।

VII. यह देश की "ऊर्जा सुरक्षा" सुनिश्चित करता है।

VIII. यह आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करता है।

IX. यह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देता है लेकिन सतत विकास का मार्ग भी प्रदान करता है।

1.4 सीजीडी के विकास के लिए तकनीकी आवश्यकताएँ-

किसी भी भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के सफल कार्यान्वयन के लिए बुनियादी तकनीकी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

I. सीजीडी इकाई को PNGRB और PESO के अनुसार निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा।

II. सीजीडी संस्था को राष्ट्रीय गैस ग्रिड (क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन या एलएनजी टैंकर) के साथ कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। यह किसी भी सीजीडी परियोजना के लिए जीवन रेखा है।

III. सीजीडी संस्था को उसके भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्तकर्ता टर्मिनल के रूप में एक सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) होना आवश्यक है।

IV. सीजीडी को घरों के बर्नर तक और उद्योगों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मामले में स्टील (उच्च दबाव / प्राथमिक नेटवर्क) और एमडीपीई - मध्यम घनत्व पॉली एथिलीन- (मध्यम दबाव / माध्यमिक नेटवर्क) गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे को बिछाने की आवश्यकता है। इसके आधार पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए किसी प्राधिकरण/एजेंसी/बोर्ड आदि द्वारा समयबद्ध अनुमति होनी चाहिए ।

V. एमडीपीई नेटवर्क के संचालन का दायरा सीमित होने से,सीजीडी संस्था को नियमित अंतराल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेशर रेग्यूलेटरी स्टेशन (डीआरएस) लगाना पड़ता है।

1.5 सीजीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल-

1.5.1 सिटी गैस नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से एवं घरेलू गैस की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित की जाती है, जो आयातित प्राकृतिक गैस (तरलीकृत प्राकृतिक गैस-एलएनजी) से सस्ती है। इसे नो कट कैटेगरी में रखा गया है। गैस की खपत बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई अन्य पहल भी की गई हैं। ऐसी पहलों का विवरण परिशिष्ट-2में दिया गया है।

1.5.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) के साथ मिलकर देश भर में प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीजीडी नेटवर्क का समग्र कवरेज 307 भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, जो द्वीप समूह को छोड़कर भारत के लगभग 100% क्षेत्र को कवर करता है।

1.6 मध्य प्रदेश में सीजीडी बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति-

1.6.1 मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के 25 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें न्यूनतम कार्य कार्यक्रम(Minimum Work Programme) अंतर्गत आने वाले 6-8 वर्षों में लगभग 60 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन स्थापित करने और 1207 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य शामिल है। यह 40000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा। प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला अंतर्गत आगामी मूल्य संवर्धन सेवाओं में निवेश जारी रहने की संभावना है जो अधिक रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करेगा।

1.6.2 पीएनजीआरबी ने देश में सीजीडी अधोसंरचना के विकास के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता हेतु अभ्यास संहिता) विनियम, 2010 में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने और आवेदन प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर नया घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।

1.6.3 मध्य प्रदेश में सीजीडी नेटवर्क अधोसंरचना को सुगम बनाने तथा निर्धारित समय-सीमा में मूल्य-संवर्धित सेवाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से सभी अनुमतियां ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली के तहत जारी करने की आवश्यकता है।

1.6.4 इस प्रकार मध्य प्रदेश में सीजीडी नीति का उद्देश्य ऊर्जा के स्वच्छ और कुशल स्त्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना है।

2. सीजीडी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति के उद्देश्य-

राज्य सरकार घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस और मूल्य संवर्धन सेवाओं और अन्य अवसरों के विकास के साथ-साथ अधिकृत क्षेत्र में सीजीडी बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। उपरोक्त आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार शहरी गैस वितरण नेटवर्क, मूल्य संवर्धित सेवाओं और नेटवर्क के सुरक्षित संचालन का प्रावधान करते हुये राज्य नीति निर्धारित करती है।

2.1 शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन (पीएनजी) और स्वच्छ परिवहन ईंधन (सीएनजी) की उपलब्धता में वृद्धि करना।

2.2 एसेट इंटिग्रिटी स्थापित करना और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

2.3 शहरी गैस वितरण संस्थाओं के लिए नीतिगत ढांचा बनाना एवं आवश्यक सिंगल विण्डो सिस्टम के द्वारा मानकीकृत एवं समयबद्ध अनुमति/स्वीकृति प्रदान करना।

2.4 औद्योगिक/वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

2.5 राज्य में शहरी गैस वितरण बुनियादी ढांचे का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

3. सीजीडी संस्थाओं के दायित्व-

3.1 सीजीडी संस्थायें प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क विकसित करेगी।

3.2 सीजीडी संस्थायें पीएनजी और सीएनजी के लाभों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों का पंजीकरण करने के लिए मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से मेगा प्रचार अभियान चलाएगीं।

3.3 सीजीडी संस्थाएं अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों की ऑनलाइन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र. को प्रस्तुत करेंगी।इसके अलावा, संस्थाएं सार्वजनिक हित में विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

3.4 सीजीडी संस्थायें अपने सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर सीएनजी ग्राहकों को जागरूक करेंगी कि वे अपने वाहनों में केवल सरकारी अधिकृत रेट्रो-फिटमेंट केंद्रों के माध्यम से फिट किए गए मानक सीएनजी किट का उपयोग करें। मप्र के सभी जिलों में रेट्रोफिटमेंट सेंटरों का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाए। इसके अलावा,वह ग्राहकों से सरकारी मानदंडों के अनुसार सिलेंडर परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

3.5 सीजीडी संस्थायें वार्षिक आधार पर प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) चलायेंगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वार्षिक कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

3.6 सीजीडी संस्था प्रदेश के जिलों में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को सीएनजी से चलाने हेतु जागरूकता को बढ़ावा देंगी।

3.7 सीजीडी संस्थाओं द्वारा घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी और सीएनजी के उपयोग के प्रति जागरूक करना चाहिए।

3.8 सीजीडी संस्थायें सीजीडी नेटवर्क का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेंगी ।

4. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास से रोजगार एवं प्रशिक्षण की स्थिति-

4.1 सीजीडी संस्थायें, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ अनुबंध(एमओयू) कर सीजीडी संचालन के लिए रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रम (अवधि-06 माह) प्रारंभ करेगी और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, ऐसे प्रशिक्षित लोगों को कंपनी/अधिकृत सीजीडी संस्था द्वारा प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।

4.2 सीजीडी परियोजना के तहत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशयन, एमडीपीई तकनीशियन, सिविल इंजीनियरिंग सहायक, कार्यालय प्रशासन, वेलडर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वेक्षण, भवन निर्माण पर्यवेक्षक एवं फिटर आदि ट्रेडो में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रति जिले औसतन 05 व्यक्तियों को प्रति वर्ष प्रति ट्रेड कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4.3 सेक्टर्स अंतर्गत Skilling Plan एवं Employment Plan निम्नानुसार होगा-

सेक्टर्स	प्रत्यक्ष रोजगार (लगभग)	अप्रत्यक्ष रोजगार/अनुबंध आधार पर (लगभग)
CNG (प्रचालन एवं अनुरक्षण)	2 व्यक्ति/ GA	6 व्यक्ति/सीएनजी स्टेशन
D-PNG (प्रचालन एवं अनुरक्षण)	4 व्यक्ति/ GA	1 व्यक्ति/100 पीएनजी कनेक्शन
Steel Line (प्रचालन एवं अनुरक्षण)	2 व्यक्ति/ GA	1 व्यक्ति/10 कि.मी.
C-PNG एवं L-PNG (प्रचालन एवं अनुरक्षण)	2 व्यक्ति/ GA	1 व्यक्ति/कनेक्शन
Misc, Admin, Security etc, (प्रचालन एवं अनुरक्षण)	2 व्यक्ति/ GA	1 व्यक्ति/सीजीडी कार्यालय

4.4 प्रत्येक जिले में अधिकृत सीजीडी संस्था, सीजीडी परिचालन और परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी।

5. सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियाँ-

सीजीडी नेटवर्क एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता है और घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना इसकी प्रमुख नागरिक सेवाओं में शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों/ राज्य राजमार्गों/ ग्राम सड़कों/जिला सड़कों और नगर निगम/ पंचायत निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने के लिए विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। चूंकि सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क एक समयबद्ध परियोजना है, इसलिए इसके त्वरित विकास के लिए इन अनुमतियों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के शुल्कों में समानता बनाए रखना, अनुमति प्रक्रिया का मानकीकरण करना और कार्य के अनुकूल भुगतान प्रणाली विकसित करना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

5.1 अनुमतियों का प्रकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)-

I. स्टैंड-अलोन सीएनजी स्टेशन, एलएनजी स्टेशन, एल-सीएनजी स्टेशन या डी-कंप्रेशन यूनिट संचालित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) से एनओसी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अगर सीएनजी इंस्टॉलेशन किसी मौजूदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के रिटेल आउटलेट के लाइसेंस क्षेत्र में है, तो अलग से एनओसी की आवश्यकता नहीं है। यदि लाइसेंस क्षेत्र को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित क्षेत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक नवीन या संशोधित एनओसी की आवश्यकता होगी।

II. आरओयू अनुमति: रोड के ROU में पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु अनुमति, जो रोड के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

5.1.1 कंडिका 5.1 अनुसार अपेक्षित अनुमतियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा- परिशिष्ट-3 अनुसार है।

5.2 सीजीएस (सिटी गेट स्टेशन)/एलसीएनजी/एलएनजी/सीएनजी/डीसीयू के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु जमा किए जाने वाले दस्तावेज-

I. कवरिंग लेटर (जीए हेड अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित)

II. पीएनजीआरबी से प्राधिकरण पत्र।

III. साइट योजना (अभिन्यास, आयाम, आसपास का विवरण, भवन और उपकरण आदि का विवरण, सहूलियतें और सुविधाएं आदि)।

IV. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज/सेल डीड/अन्य

V. खसरा/नक्शा/म्यूटेशन सर्टिफिकेट/लीज़ दस्तावेज

VI. सीजीडी संस्था द्वारा जारी एलओआई/ईओआई (सीएनजी स्टेशन के लिए)

5.3 ROU अनुमति-(परिशिष्ट-3 अनुसार)

5.3.1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुमति के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज:

सीजीडी संस्था पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला मजिस्ट्रेट या सड़क प्राधिकरण को निम्नलिखित ड्राईंग/दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत फाइल में प्रस्तुत करेगी:

I. पीएनजीआरबी का प्राधिकरण पत्र।

II. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।

III. पाइपलाइन की लंबाई और सड़क के नाम/प्रकार के विवरण के साथ प्लानिमेट्री ड्राईंग /रूट मैप।

IV. पाइपलाइन विवरण, आकार, मोटाई, डिज़ाइन आदि।

V. पाइपलाइन बिछाने की पद्धति अर्थात ओपन ट्रेंचिंग या ट्रेंचलेस पद्धति।

VI. रेस्टोरेशन के उद्देश्य से एस्टीमेट तैयार करने के लिए सड़क के विभिन्न खंडों में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन की लंबाई, जैसे (कैरिज़ वे, हार्ड शोल्डर, सॉफ्ट शोल्डर और मिट्टी की सतह आदि में बिछाई जाने वाली लंबाई)

5.3.2 सीजीडी संस्था द्वारा अपने व्यय पर सड़क की मरम्मत करके उसे मूल स्थिति में लाया जाएगा। सड़क की सतह को भी उसी स्थिति में लाया जाएगा, जैसा कि कार्य करने से पूर्व था। संस्था को तय समय सीमा के भीतर सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करनी होगी और किसी भी समय सड़क को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मरम्मत के बिना खुला नहीं छोड़ा जा सकता। पहले से खोदी गई सड़क मोटरेबल हो जाने के बाद ही आगे खुदाई की अनुमति दी जाएगी।

5.3.3 अनुमति जारी करते समय, अनुमति जारी करने वाला विभाग/बोर्ड संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों के लिए एक ही बैंक गारंटी लेगा, जमा की गई सुरक्षा राशि संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा दोबारा नहीं ली जाएगी। जिले के भीतर एक से अधिक स्थानों के लिए अनुमति हेतु पूर्व में जमा की गई राशि केरीफॉरवर्ड की जायेगी। यदि किसी भी समय नेटवर्क विस्तार के कारण कार्य की लंबाई/क्षेत्र पिछली अनुमत लंबाई/क्षेत्र से अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त सुरक्षा राशि सीजीडी संस्था द्वारा जमा की जाएगी।

5.3.4 यदि शहरी गैस अधोसंरचना विकास कार्य एक से अधिक जिलों में निष्पादित किया जा रहा है, तो सीजीडी संस्था द्वारा विभाग/निकाय के राज्य कार्यालय में बैंक गारंटी के रूप में एकमुश्त राशि जमा की जा सकती है।

5.3.5 सड़कों की संतोषजनक बहाली पाये जाने की स्थिति में, संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार सुरक्षा जमा / बैंक गारंटी (बीजी) वापस कर दी जाएगी और शेष राशि संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार सड़कों की बहाली की तारीख से, एक अवधि के लिए, दोष देयता के रूप में विभाग के पास सुरक्षित रहेगी।

5.3.6 सीजीडी संस्था को “डिग एंड रिस्टोर” पद्धति के माध्यम से बहाली करनी होगी (यहां संस्था खुदाई और बहाली कार्य दोनों करती है) जिसके लिए केवल बैंक गारंटी जमा की जाएगी।

या

सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों में, अधिकृत संस्था द्वारा “पे एण्ड डिग” पद्धति के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है (यहां सड़क बहाली के लिए संस्था द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा और मरम्मत कार्य संबंधित अनुमति जारी करने वाले विभाग द्वारा किया जाएगा)।

5.3.7 जिन क्षेत्रों में एमडीपीई गैस पाइपलाइन नेटवर्क पहले से मौजूद है, वहां पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में, अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) की अनुमति केवल पहले दी गई अनुमति के आधार पर ही दी जाएगी। उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार, पूर्व में बिछाई गई भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क से टैप करके उन्हें पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जा सकते है। इन गड्ढों को सीजीडी संस्था द्वारा 2 दिनों के भीतर बहाल किया जाएगा।

5.3.8 भूमिगत पाइपलाइन बिछाते समय सीजीडी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पहले से मौजूद

उपयोगिताओं को कोई नुकसान न पहुंचे, यदि किसी अन्य संस्था / विभाग / व्यक्ति द्वारा गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो गैस पाइपलाइन की मरम्मत का व्यय उस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, जिसने इसे क्षतिग्रस्त किया है।

5.3.9 कंक्रीट सड़कों में भूमिगत पाइपलाइन बिछाते समय खुली खुदाई के स्थान पर टनलिंग/रोड कटर(एचडीडी पद्धति) का उपयोग किया जाएगा।

5.3.10 नगरीय क्षेत्रों में सीजीडी संस्था को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति एवं रोड कटिंग तथा रि-स्टोरेशन के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के परिपत्र क्रं. एफ-10-11/2022/18-2 दिनांक 16.08.2022 द्वारा जारी एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। फीस एवं बैंक गारंटी राशि की गणना इन दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

5.3.11 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को शासकीय विभाग एवं निजी संस्थानों को रोड कटिंग/मार्ग के समानांतर ROW के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रं. 157/2712/19/2025 दिनांक 16.01.2025 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे। फीस एवं बैंक गारंटी राशि की गणना इन दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

5.3.12 म.प्र.रोड डेव्लपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित सड़कों हेतु CGD संस्था द्वारा CNG स्टेशन स्थापित करने हेतु एनओसी जारी करने के संबंध में / गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु ROU अनुमति के संबंध में फीस एवं बैंक गारंटी हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक RW/NH-33023/19/99-DO-III दिनांक 24.07.2013, परिपत्र क्रमांक RW/NH-33044/29/2015/S&R (R) दिनांक 22.11.2016 के आधार पर म.प्र.रोड डेव्लपमेन्ट कॉर्पोरेशन के परिपत्र क्रमांक 385/230/PP/MPRDC/2020 भोपाल, दिनांक 18.05.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 12421/230/PP/MPRDC/2024 भोपाल, दिनांक 23.12.2024 से जारी निर्देश एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

5.3.13 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सड़कों के किनारे अथवा नीचे से बिछाये जाने हेतु लंबित प्रकरणों के संबंध में म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निर्देश क्रं.10763/22/वि-12/ग्रासप्रा/Maint-2/19भोपाल, दिनांक 05.08.2019, पत्र क्रं. 1047/22/वि-12/GM(M-II)/2020 भोपाल, दिनांक 20.01.2020 एवं पत्र क्र. 4144 दिनांक 17.03.2020 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

5.3.14 आवेदक संस्था द्वारा CNG स्टेशन स्थापित करने हेतु म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी जारी करने के संबंध में फीस हेतु बोर्ड के परिपत्र क्रमांक 317/1027/2021/32-3 भोपाल, दिनांक 31.03.2022 से जारी एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

5.3.15 आवेदक संस्था द्वारा CNG स्टेशन स्थापित करने हेतु नगर एवं ग्राम निवेश से एनओसी जारी करने के संबंध में फीस हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 13.04.2012 को राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

5.3.16 सीजीडी संस्थाएं अपने गैसीकृत नेटवर्क को संबंधित आरओडब्ल्यू स्वामित्व विभागों (नगर निगम/पालिका, पीडब्ल्यूडी और अन्य) को सूचित करेंगी ताकि सीजीडी संस्थाओं की जानकारी के उपरांत ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क के आसपास किसी भी अन्य प्रकार की खुदाई की अनुमति दी जा सके।

5.3.17 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास करने वाली संस्था द्वारा C-BuD (Call Before U Dig) पर पंजीयन कर, अपने Infrastructure तथा कार्य करने के पूर्व संबंधित एजेंसियों को अवगत कराया जाएगा।

5.3.18 नेटवर्क की प्लानिंग करने के लिए केन्द्र शासन के गतिशक्ति पोर्टल पर उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

5.3.19 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्था के द्वारा जब भी अपना नेटवर्क डाला जावे तब गतिशक्ति पोर्टल पर तदनुसार अपडेट किया जावे।

5.3.20 सीजीडी बुनियादी ढांचे में, पीएनजी आपूर्ति को पूरा करने के लिए लगभग 10x8 वर्ग मीटर भूमि पर डीआरएस (जिला विनियमन स्टेशन) या लगभग 20x20 वर्ग मीटर भूमि पर डी-कम्प्रेशन (डीसीयू) इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है। डीआरएस/डीसीयू एक ऐसी इकाई है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है जो लगभग 2000-5000 घरों को प्रति डीआरएस पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, इसे परित्यक्त सार्वजनिक पार्कों, उपयोग न की गई शासकीय भूमि के हिस्सों, सड़क के किनारे आदि में स्थापित करने की अनुमति भूमि स्वामित्व विभाग/निगम द्वारा दी जा सकेगी।

5.3.21 आपातकालीन स्थिति में गैस आपूर्ति को बंद करने के लिए सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क में निश्चित अंतराल पर सेंक्शनालाईजिंग वाल्व एवं सेवा विनियामक (Service Regulators)

स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. ऑनलाइन अनुमति प्रणाली

सीजीडी नेटवर्क के लिए अनुमति उसी तरह जारी की जाएगी जैसे ऑप्टिकल फाइबर लाइन, पानी की पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन बिछाने की अनुमति जारी की जाती है।

6.1 सिंगल विंडो सिस्टम-

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सीजीडी अधोसंरचना के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड पोर्टल विकसित करेगा। सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल आगामी 06 माह में विकसित किया जायेगा।

जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ देने के लिए कलेक्टर को एकल खिड़की तंत्र के रूप में अधिकृत किया गया है। सीजीडी संस्था एकल खिड़की प्रणाली पर आरओयू सुविधा/अनुमति प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगी। आवेदक संस्था को केंद्र सरकार के विभागों/उपक्रमों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं प्राप्त करना होगा।

7. सिटी गैस वितरण के विकास हेतु भूमि की आवश्यकता-

शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास/विस्तार में अधिकृत संस्था को अपने अधिकृत क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता होगी-

I. सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) - 50x50 वर्ग मीटर

II. डिस्ट्रिक्ट प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन (डीआरएस) / डी-कम्प्रेशन यूनिट (डीसीयू) -10x8 वर्ग मीटर -प्रत्येक 2000 से 5000 घरों के लिए।

III. डी-कम्प्रेशन यूनिट (डीसीयू)- 20x20 वर्ग मीटर

IV. सीएनजी स्टेशन- प्रत्येक स्टेशन के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता 35x35 वर्ग मीटर

V. एलएनजी/एल-सीएनजी हब-क्षेत्र (एरिया) की आवश्यकता 5600 से 7500 वर्ग मीटर.

8. शासकीय भूमि आवंटन की प्रक्रिया-

8.1 निवेशक को शासकीय भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अध्याय 3 के भाग च के अनुसार किया जाएगा। निवेशक द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित लैंड पूल से भूमि का चयन कर विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत आवेदन कलेक्टर की ओर भूमि हस्तांतरण हेतु अग्रेषित किया जाएगा । कलेक्टर उक्त निर्देश 2020 की विहित प्रक्रिया के अनुसार विभाग को भूमि हस्तांतरित करेगा, जिसे विभाग के निर्देशन में पट्टे का निष्पादन निवेशक को किया जावेगा। स्थाई पट्टा 30 वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसका आवश्यकतानुसार नवीनीकरण उभय पक्ष की सहमति से किया जा सकेगा। प्रब्याजि,भू भाटक का निर्धारण भी मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अध्याय 3 के भाग च के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकेगा। आवेदन तथा पट्टे का प्रारूप भी तदनुसार होगा।

8.2 नगरीय निकायों की स्वामित्व की भूमि का अंतरण –

नगरीय क्षेत्र में निकायों के स्वामित्व की भूमि का अंतरण मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 2023 के तहत किये जाने का प्रावधान है।

9. सीजीडी संस्थाओं द्वारा भूमिगत पाइप लाइन,केबल या डक्ट बिछाये जाने की प्रक्रिया –

सीजीडी संस्थाओं द्वारा भूमिगत पाइप लाइन,केबल या डक्ट बिछाये जाने हेतु राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 17 अगस्त 2017 के अनुसार शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति का पालन किया जायेगा।

10. योजना स्तर पर सीजीडी नेटवर्क का प्रावधान-

10.1 मास्टर प्लान में शहर/शहर के नियोजन चरण में सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि का निर्धारण:

प्रदेश के विकास प्राधिकरण अपने शहर/नगर मास्टर प्लान तैयार करते समय पीएनजी नेटवर्क के प्रावधान और सीएनजी स्टेशनों के प्रावधान को अनिवार्य रूप से शामिल करेंगे। सीजीडी संस्था इसके लिए अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगी और इस उद्देश्य के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी।

10.2 शहरी स्थानीय निकायों की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के प्रावधान को शामिल करना:

शहरी स्थानीय निकाय सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय अन्य उपयोगिताओं के साथ-साथ गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के प्रावधानों को भी शामिल किया जायेगा।

10.3 स्थानीय निकायों (नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत) द्वारा भवन योजना (बिल्डिंग प्लान) के अनुमोदन के समय पीएनजी पाइपलाइन/नेटवर्क को शामिल करने के प्रावधान:

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, आवास विभाग आदि योजना अनुमोदन के चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए उपनियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं सभी शासकीय आवास,गेस्ट हाउस और कार्यालय भवनों में पीएनजी कनेक्टिविटी के प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

10.4 भविष्य में विकसित होने वाले औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भी पीएनजी/सीएनजी के प्रदाय हेतु प्रावधान किये जायें।

11. सीएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन के रूप में अपनाना-

परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन बनाने के लिए नीतिगत जोर देने की आवश्यकता है। इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-

11.1 रेट्रोफिटेड वाहनों के लिए, सभी वाहनों में एक सीएनजी किट और एक सिलेंडर लगा होना चाहिए जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित हो और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) द्वारा अधिकृत रेट्रोफिटर एजेंसी द्वारा स्थापित और परीक्षण किया गया हो। रेट्रोफिटेड एजेंसी का अधिकृत होना एवं परिवहन विभाग में 'वाहन' पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के आयुक्त/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) सीएनजी उपयोग के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए एक फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेंगे। एक बार रेट्रोफ़िट किए गए वाहन को भी सड़कों पर चलाने की अनुमति देने से पहले पंजीकरण दस्तावेज़ पर आरटीओ के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक सिलेंडर रिफिल से पहले वाहन संचालक द्वारा सीएनजी स्टेशन प्रभारी को ये

प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा । वाहन में लगे सिलेंडर, स्टेनलेस स्टील वाल्व एवं कनेक्टेड सुविधायें तत्समय प्रभावी गैस सिलेंडर नियम के अनुरूप होना आवश्यक है। इन सिलेंडरों का प्रत्येक तीन साल में कम से कम एक बार हाइड्रो टेस्ट कराया जाना आवश्यक होगा।

11.2 सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 प्रतिशत जीवनकाल मोटरयान कर में छूट दी जायेगी। उक्त छूट केवल जीवनकाल मोटरयान कर के लिए है इसमें पंजीयन शुल्क की छूट शामिल नहीं है। वाहनों का पंजीयन शुल्क यथावत रहेगा। यह छूट पॉलिसी लागू होने के एक वर्ष तक लागू रहेगी। यह छूट केवल फैक्ट्री-फिटेड पूर्ण सीएनजी वाहनों के लिए दी जाएगी, हाइब्रिड वाहनों के लिए नहीं।

11.3 पर्यावरण में सुधार की पहल के रूप में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वन क्षेत्र, खनन क्षेत्र आदि में सीएनजी आधारित वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन क्षेत्रों में उपयोग की जा रही भारी डीजल मशीनरी को सीएनजी में परिवर्तित किया जा सकता है।

11.4 चूंकि प्राकृतिक गैस हरित उपलब्ध ईंधन है अत: सीजीडी परियोजनाओं को वर्तमान हरित श्रेणी से सफेद श्रेणी उद्योग के अंतर्गत मान्य किया जा सकता है।

11.5 राज्य स्तरीय शीर्ष समिति उचित नियम/विनियम लाकर प्राधिकृत क्षेत्र में दूरसंचार सेवा टावरों, अपार्टमेंटों, वाणिज्यिक भवनों और औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जेनरेटरों को सीएनजी जनरेटरों में परिवर्तित करने की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

11.6 जिन औद्योगिक क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी विकसित की गई है, वहां औद्योगिक क्षेत्रों को गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं ऐसे क्षेत्रों में सभी प्रदूषणकारी ईंधनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किये जाने वाले अनुमोदित ईंधन की एक सूची अपनाई जा सकती है, जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया है। प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जिससे देश को अपनी COP-26 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

12. गैस पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा-

12.1 म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। जिला प्राधिकारी अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी

संस्थाओं के साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के अनुसार गैस पाइपलाइन रिसाव/क्षति के मामले में भविष्य में किसी भी घटना से निपटने के लिए वार्षिक रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। सभी संबंधित विभागों को इस मॉक ड्रिल में भाग लेना अनिवार्य होगा।

12.2 किसी सड़क पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित होने के बाद बिछाई जाने वाली अन्य सभी उपयोगिताओं को सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप, आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ गैस पाइपलाइन से सुरक्षित दूरी पर बिछाया जाएगा। यदि, गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले ही अन्य उपयोगिताएँ मौजूद हैं, तो सीजीडी संस्था, मानदंडों के अनुरूप, आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ, पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के साथ गैस पाइपलाइन बिछाएगी।

12.3 यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति/संस्था गैस पाइपलाइन/प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाती है, तो पुलिस सीजीडी संस्था की लिखित शिकायत के आधार पर, गैस पाइपलाइन और उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक अधिनियमों के तहत तत्काल प्रकरण दर्ज करेगी।

12.4 गैस पाइपलाइन रिसाव/क्षति होने की स्थिति में, सीजीडी संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन वाहनों का दर्जा दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच सकें।

12.5 सीजीडी संस्था सभी गैस पाइपलाइन मार्गों पर सरकारी सुरक्षा नियमों/मानदंडों के अनुसार गैस पाइपलाइन मार्कर लगाएगी और इसका वार्षिक रखरखाव करेगी।

12.6 सीजीडी संस्था गैस पाइपलाइन नेटवर्क से संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सभी स्थानीय अधिकारियों और उपयोगिता प्रदाताओं के साथ नियमित अवधि में सुरक्षा जागरूकता शिविर/समाचार पत्र अभियान चलाएगी।

12.7 सीजीडी इकाई परिचालन अवधि के दौरान या रखरखाव के दौरान सड़कों के किनारे गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय करेगी। इसी प्रकार, उन्हें नदी या नहर की संरचना पार करने की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय करेगी।

12.8 गैस पाईप लाईन से लीकेज होने से दुर्घटना की संभावना होने के कारण सीजीडी संस्था द्वारा विहित प्रावधान अनुसार थर्ड पार्टी इंश्योरेस एवं लोक दायित्व बीमा (पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस) कराया जाना आवश्यक होगा।

12.9 सीजीएस/डीसीयू/एलएनजी हब को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

12.10 सीएनजी मोबाइल कैस्केड वाहक वाहन को सार्वजनिक उपयोगिता वाहन माना जाएगा।

12.11 जिला मजिस्ट्रेट एनओसी में पूर्व में अनुमोदित लेआउट पर सीजीएस/डीसीयू/सीएनजी के निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम निवेश/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

13. शहरी गैस वितरण नेटवर्क कार्यान्वयन/निगरानी समिति-

13.1 राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी)-

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो शहरी गैस वितरण नेटवर्क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाएगी; सीजीडी बुनियादी ढांचे और इससे संबद्ध मूल्य वर्धित सेवाओं के विकास को सुविधाजनक बनायेगी और उपयुक्त तंत्र की स्थापना और नीतियों के माध्यम से कारोबार में सुगमता(ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) को प्रोत्साहित करेगी।

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य/ प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	नोडल अधिकारी
9	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
10	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
11	आयुक्त/संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	सदस्य- सचिव

12	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
13	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14	PESO के प्रतिनिधि	सदस्य
15	प्राधिकृत CGD संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य
16	आयल कंपनियों के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के नोडल अधिकारी एवं सदस्य सचिव राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभागों/ मंत्रालयों के साथ सभी आवश्यक समन्वय करेंगे।

13.1.1. राज्य स्तरीय समिति के महत्वपूर्ण कार्य-

समिति के महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार होंगे:

I. मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में विभिन्न सरकारी पहलों के साथ तालमेल करते हुये सीजीडी बुनियादी ढांचे का विकास।

II. सिटी बसों, ऑटो-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन वाहनों और लंबी दूरी की बसों को सीएनजी में परिवर्तित करके पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

III. औद्योगिक और वाणिज्यिक सहित सभी वर्गों के उपभोक्ताओं द्वारा पसंदीदा ईंधन के रूप में पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना।

IV. सुरक्षित सीजीडी संचालन और सुरक्षित संचालन से संबंधित सभी इंटरफेस से संबंधित मुद्दों और आपातकालीन प्रबंधन से उत्पन्न मुद्दों का मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करना।

V. भूमि आवंटन, उपयोगिता और बुनियादी ढांचे की स्थिति से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए, दूरसंचार, बिजली, पानी इत्यादि जैसे अन्य उपयोगिता कार्यक्रमों के अनुरूप सीजीडी व्यवसाय शुरू करने में कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) सुनिश्चित करना।

VI. निर्धारित नीति उद्देश्यों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय करना।

VII. आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में भवनों की वास्तुशिल्पीय डिजाईन के स्तर पर ही भवन योजना नियमों में उपयुक्त संशोधन करते हुये गैस पाईपलाईन अधोसंरचना का प्रावधान कर भवन निर्माण के अंत तक भवन के ‘‘गैस इन’’ की तैयारी सुनिश्चित करना।

VIII. सीएनजी स्टेशन की स्थापना हेतु जिला विनियमन प्रणाली (डीआरएस) और दबाव विनियमन प्रणाली (पीआरएस) के लिये उपयुक्त शासकीय भूमि का आवंटन/भूमि को सुरक्षित करने के लिये उपयुक्त नीति दिशा निर्देश/ढांचा विकसित करना।

IX. नोडल विभाग राज्य स्तर पर अन्य विभागों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण करायेगा।

13.2 जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी)-

जिला स्तर पर सीजीडी नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एफ 19-66/2021/1/4, भोपाल, दिनांक 25 नवंबर 2021 के द्वारा जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। निम्नानुसार समिति सीजीडी नेटवर्क विस्तार के कार्यान्वयन की सतत निगरानी और नियमित समीक्षा और अंतर-विभागीय कठिनाइयों का समाधान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी-

1	डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	जिला वन अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
5	महाप्रबंधक/प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सदस्य
6	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन	सदस्य
7	आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
8	जिला अधिकारी नगर एवं ग्राम निवेश	सदस्य
9	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
10	क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
11	प्राधिकृत CGD संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य
12	जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी	सदस्य सचिव
13	क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम	सदस्य

13.2.1. बैठकों की अवधि:

परियोजना के कार्यान्वियन के दौरान जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठक माह में एक बार या जब भी जरूरत हो, अधिक बार बुलाई जाएगी। समीक्षा बैठक का प्रतिवेदन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा।

13.2.2. जिला स्तरीय समिति के महत्वपूर्ण कार्य:

संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलएमसी, संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगी और अपने जिले/क्षेत्र में कार्यान्वित सीजीडी कार्यों की प्रगति की निगरानी करेगी और समय-समय पर राज्य नोडल एजेंसी को वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

समिति के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

I. सीजीडी संस्थाओं को वर्तमान शासकीय मानदंडों के अनुसार आवश्यक अनुमतियां जारी करने सहित, डीआरएस/पीआरएस/एसआरएस स्टेशन एवं सीएनजी/एलएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिये आवश्यक शासकीय भूमि पार्सल के आवंटन को सुविधाजनक बनाना ।

II. सीजीडी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत पाइपलाइन संरेखण(अलाईनमेंट) में विचारार्थ विभिन्न श्रेणियों के तहत सरकारी भूमि के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना।

III. सीएनजी स्टेशन की स्थापना एवं गैस पाईपलाईन बिछाने की समयबद्ध तरीके से अनुमति/मंजूरी को सुविधाजनक बनाना।

IV. सीजीडी संस्थाओं द्वारा कस्बों/शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में सीजीडी फील्ड कार्यों का निर्बाध रूप से निष्पादन एवं इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

V. सार्वजनिक सुरक्षा आदि संबंधित सड़क-स्वामित्व अधिकारियों के परामर्श से और पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित कार्य के सिंक्रनाइज़ेशन के अनुरूप भविष्य में रोड के विस्तार एवं अन्य उपयोगिताओं के साथ सह अस्तित्व संबंधी मुद्दों को सुविधाजनक बनाना।

VI. विभिन्न हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने के कार्यों, मुख्यत: सड़क काटने और बहाली के कार्य के निष्पादन के दौरान सीजीडी संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने वाले सभी

सुरक्षा मानकों/उपायों से संबंधित मुद्दों का निराकरण करना। यदि जिला प्रशासन को उक्त कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए किसी जनशक्ति की आवश्यकता होती है, तो सीजीडी संस्थाएं अपनी लागत पर उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी।

VII. सीजीडी संस्थाओं के माध्यम से ईआरडीएमपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन योजना) प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना।

VIII. नोडल विभाग द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की मदद से संबंधित विभागों के अधिकारियों का समय-समय पर प्रशिक्षण कराना।

14. शिकायत निवारण तंत्रः

14.1 सीजीडी संस्था द्वारा आम जनता/प्राधिकरण/अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों/मुद्दों को 07 दिवस के भीतर निराकरण करने का प्रावधान किया गया है।

14.2 दर्ज की गई शिकायत को संबंधित सीजीडी संस्था को भेजा जाएगा और सीजीडी संस्था उस पर कार्रवाई करेगी तथा प्रत्येक शिकायत के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सात (07) दिनों के भीतर जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

14.3 राज्य/जिला स्तरीय निगरानी समिति/नोडल विभाग,आम जनता/प्राधिकरण/सीजीडी संस्था द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगा।

14.4 विवाद समाधान-

इस नीति की व्याख्या से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद, मतभेद या दावे की स्थिति में उसका समाधान प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

15. पॉलिसी की वैधताः-

उक्त पॉलिसी की समयावधि इसके लागू होने के दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

परिभाषा–

इस नीति में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,

I. ‘‘अधिनियम’’ से अभिप्रेत है- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006

II. ‘‘प्राधिकृत क्षेत्र’’ से अभिप्रेत है किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (इसे आगे सीजीडी नेटवर्क कहा गया है) का विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जो कि इन विनियम के अधीन सीजीडी नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत हो, जिसमें निम्न श्रेणियां या तो पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से, अनुसूची ‘अ’ में वर्णित आर्थिक व्यवहार्यता एवं संलग्नता में मानदंडों के आधार पर, सम्मिलित हो सकती है। भौगोलिक क्षेत्र- पूर्ण अथवा कोई अंश, नगरीय निकाय सीमा के भीतर, केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कोई शहरी क्षेत्र, ग्राम, ब्लॉक, तहसील, अनुविभाग या जिला या इनका समूह।

III. “बोर्ड’’ से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड।

IV. ‘‘प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क’’ से अभिप्रेत है, उच्च दाब ट्रांसमिशन मेन से मध्यम दाब वितरण ग्रिड एवं तत्पश्चात सर्विस पाइप तक प्राकृतिक गैस में परिवहन में उपयोग में लाये जा रहे गैस पाइपलाइन के अन्तर सम्बद्ध नेटवर्क तथा इसमें उपयोग होने वाले उपकरण, जिससे विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों तथा सीएनजी स्टेशन तक आपूर्ति की जाए।

V. ‘‘कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस या (सीएनजी)’’ से अभिप्रेत है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लायी जाने वाली 200-250 बार की दाब में गैस अवस्था मे कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस।

VI. ‘‘सीएनजी स्टेशन’’ से अभिप्रेत है ऐसे फिलिंग स्टेशन जहां पर कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस के विक्रय के लिए एक या अधिक वितरण यूनिट्स हो।

VII. ‘‘सीजीडी नेटवर्क का विकास’’ से अभिप्रेत है शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, बनाना, संचालन करना या विस्तार करना।

VIII. ‘‘संस्था’’ से अभिप्रेत है, किसी भी नाम से ज्ञात फर्म, कंपनी या सहकारी सोसाइटी, व्यक्ति

समूह , किंतु डीलर या वितरक न हो और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस को रिफाइन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, आयात और निर्यात और इसमें सम्मिलित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने या शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालन करने या विस्तार करने या लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना एवं संचालन में संलग्न अथवा संलग्न होने की इच्छुक संस्था।

IX. ‘‘स्थानीय वितरण संस्था’’ से अभिप्रेत है बोर्ड के द्वारा धारा-20 के अधीन शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत संस्था।

X. ‘‘प्राकृतिक गैस’’ से अभिप्रेत है बोर होल से प्राप्त एवं मुख्यत: हाइड्रोकार्बन से बनी हुये गैस और इसमें सम्मिलित है –

I. द्रवीय अवस्था में गैस जिसे लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस तथा रिगैसीफाइड प्राकृतिक गैस कहा जाए,

II. कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस,

III. अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन अथवा टैंकर या अन्य किसी माध्यम से आयातित गैस/जिसमें सीएनजी या एलसीएनजी शामिल हों,

IV. गैस हाइड्रेट्स से प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त की गई गैस,

V. कोल सीम्स (Coal Seams) से प्राप्त मिथेन जिसे कोल बेड मिथेन कहा जाए, किंतु इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बनों से संबद्ध होने वाली हीलियम सम्मिलित नहीं है। इसमें बायो गैस और हाइड्रोजन के साथ प्राकृतिक गैस के मिश्रित रूप भी शामिल हैं;

XI. ‘पाइप्ड प्राकृतिक गैस’ (आगे इसे पीएनजी कहा गया है) से अभिप्रेत है, घरेलू वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रखंडों में किसी ग्राहक के द्वारा उपयोग के लिए किसी सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइन या कास्केड या किसी अन्य अनुमत माध्यम द्वारा परिवहन की गई प्राकृतिक गैस तथा इसमें कम्प्रेशन के पूर्व किसी ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन को आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस सम्मिलित है ।

XII. ‘विनियम’ से अभिप्रेत है पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 के अधीन बोर्ड के द्वारा बनाये गए विनियम और प्रावधान।

XIII. ‘कार्य कार्यक्रम’- प्राधिकरण पत्र जारी होने तक “कार्य कार्यक्रम” का अभिप्रेत है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या, सीएनजी स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइप लाइन नेटवर्क के इंच- किलोमीटर जैसा कि बिडर-(Bidder) द्वारा Bid में घोषित किया जाए और ऐसे प्राधिकार पत्र के जारी होने के उपरांत कार्य योजना से अभिप्रेत है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या, सीएनजी स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइप लाइन नेटवर्क के इंच-किलोमीटर जैसा कि शहरी गैस वितरण प्राधिकार विनियमन की अनुसूची-‘द’ के प्राधिकार पत्र में उल्लेखित योजना।

परिशिष्ट-2

सीजीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम

1 घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस, जो आयातित प्राकृतिक गैस से सस्ती है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस - (एलएनजी), को जीजीडी क्षेत्र के घरेलू (पाइप्ड प्राकृतिक गैस) और परिवहन (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) सेग्मेंट की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नो कट श्रेणी में रखा गया है।

2 सीजीडी परियोजनाओं को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा "सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा" दिया गया है।

3 रक्षा मंत्रालय ने अपने आवासीय परिसरों में पीएनजी के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

4 सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों (पीएसईएस) को अपने संबंधित आवासीय परिसरों में पीएनजी कनेक्टिविटी के प्रावधान रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

5 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित पहलुओं पर राज्य सरकारों को एक एडवाईजरी जारी की है

5.1 स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समयबद्ध अनुमति के साथ-साथ सड़क बहाली/अनुमति शुल्क का मानकीकरण।

5.2 कस्बे/शहर के योजना स्तर पर सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि/भूखंड का निर्धारण और इसे संशोधित मास्टर प्लान में निर्दिष्ट किया जा रहा है।

5.3 वास्तुशिल्प डिजाइन चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक भवन उपनियमों को संशोधित करना।

6 इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी के प्रावधान करने का निर्देश दिया है।

7 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) (पहले डीआईपीपी) ने पेट्रोल और डीजल के लिए मौजूदा खुदरा दुकानों पर सीएनजी वितरण सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गैस सिलेंडर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित किया है।

8 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस की अदला-बदली और एलएनजी टैंकरों और कैस्केड द्वारा परिवहन के माध्यम से घरेलू गैस के आवंटन द्वारा प्राकृतिक गैस के वितरण की सुविधा प्रदान की।

सिटी गैस वितरण अधोसंरचना विकास के लिए अनुमतियाँ

क्रं.	अनुमति का प्रकार	सक्षम अधिकारी	क्रियाकलाप	समय – सीमा
1	सीएनजी/ एलएनजी/ एलसीएनजी स्टेशन के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	1. आवेदन की जांच एवं संबंधित विभागों (पुलिस, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग, सड़क प्राधिकरण- पीडब्ल्यूडी/ एमपीआरडीसी, उर्जा विभाग (विद्युत वितरण कंपनी), एमपीपीसीबी,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं अन्य विभाग को प्रेषित करना **या** आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में संबंधित आवेदनकर्ता (सीजीडी संस्था) को प्रेषित करना।	आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर
			2. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) उठाए गए स्पष्टीकरण पर उत्तर पूर्ण दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।	अगले 5 कार्य दिवस (कुल 12 दिवस)
		संबंधित विभागीय अधिकारी	3. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण आवेदन संबंधित विभागों को प्रेषित करना।	अगले 3 कार्य दिवस कुल 15 दिवस
			4. संबंधित विभाग प्राप्त आवेदन/दस्तावेज की जांच करेगा तथा अपनी फीस जमा करायेगा और एनओसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा **या** अपूर्ण/अनुपयुक्त आवेदन/दस्तावेजों के मामले में संबंधित विभाग आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण के लिए आवेदक (सीजीडी संस्था) को भेजेगा।	अगले 30 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 45)
			5. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) संबंधित विभाग को पूर्ण दस्तावेजों के साथ उत्तर भेजेगा	अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 50)
			6. आवेदक (सीजीडी संस्था) से मांगे गए स्पष्टीकरण पर उत्तर की जांच के बाद, संबंधित विभाग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एनओसी भेजेगा।	अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 55)
		डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	7. सभी संबंधित विभागों से प्राप्त एनओसी की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अंतिम एनओसी जारी/ अस्वीकृति	अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 60)

नोट- केन्द्र सरकार के विभागों से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सीजीडी संस्था स्वयं जवाबदार होगी।

2	आरओयू अनुमति	संबंधित विभाग	1. आवेदक (सीजीडी संस्था) द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल पर संबंधित विभाग/सड़क प्राधिकरण- पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसीएल, स्थानीय निकाय, एमपीआरआरडीए, जल संसाधन एवं अन्य विभाग को आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। विभाग आवेदन की जांच करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त निरीक्षण भी कर सकता है। सत्यापन के पश्चात विभाग, आवेदन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने अभिमत के साथ भेजेगा **या** यदि आवेदन अपूर्ण पाया जाता है या स्पष्टीकरण की स्थिति में, सीजीडी संस्था को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगा।	आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर
			2. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) उठाए गए स्पष्टीकरण पर संबंधित विभाग को उत्तर भेजेगा/ पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराएगा	अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 35)
			3. आवेदक (सीजीडी संस्था) से स्पष्टीकरण/पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर, संबंधित विभाग, अपने अभिमत के साथ अपनी सहमति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा तथा विभाग की नीति/परिपत्र के अनुसार सीजीडी संस्था को आवश्यक बैंक गारंटी की जानकारी देगा। **या** कारणों के साथ आवेदन को रिजेक्ट करेगा।	अगले 10 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 45)
			4. संस्था विभाग की मांग के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी	अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 50)
		डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	5. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आवेदन की जांच करने के बाद आवेदन को स्वीकृत करेगा/ सीजीडी संस्था से स्पष्टीकरण मांगेगा/कारण सहित आवेदन रिजेक्ट करेगा	अगले 15 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 65)
			6. स्पष्टीकरण के मामले में आवेदक (सीजीडी संस्था) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवश्यक स्पष्टीकरण/पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।	अगले 5 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 70)
			7. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के बाद सीजीडी संस्था को अंतिम अनुमति जारी की जाएगी	अगले 7 कार्य दिवस के भीतर (कुल दिवस 77)

नोट - केन्द्र सरकार के विभागों से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सीजीडी संस्था स्वयं जवाबदार होगी।

प्राकृतिक गैस अधोसंरचना

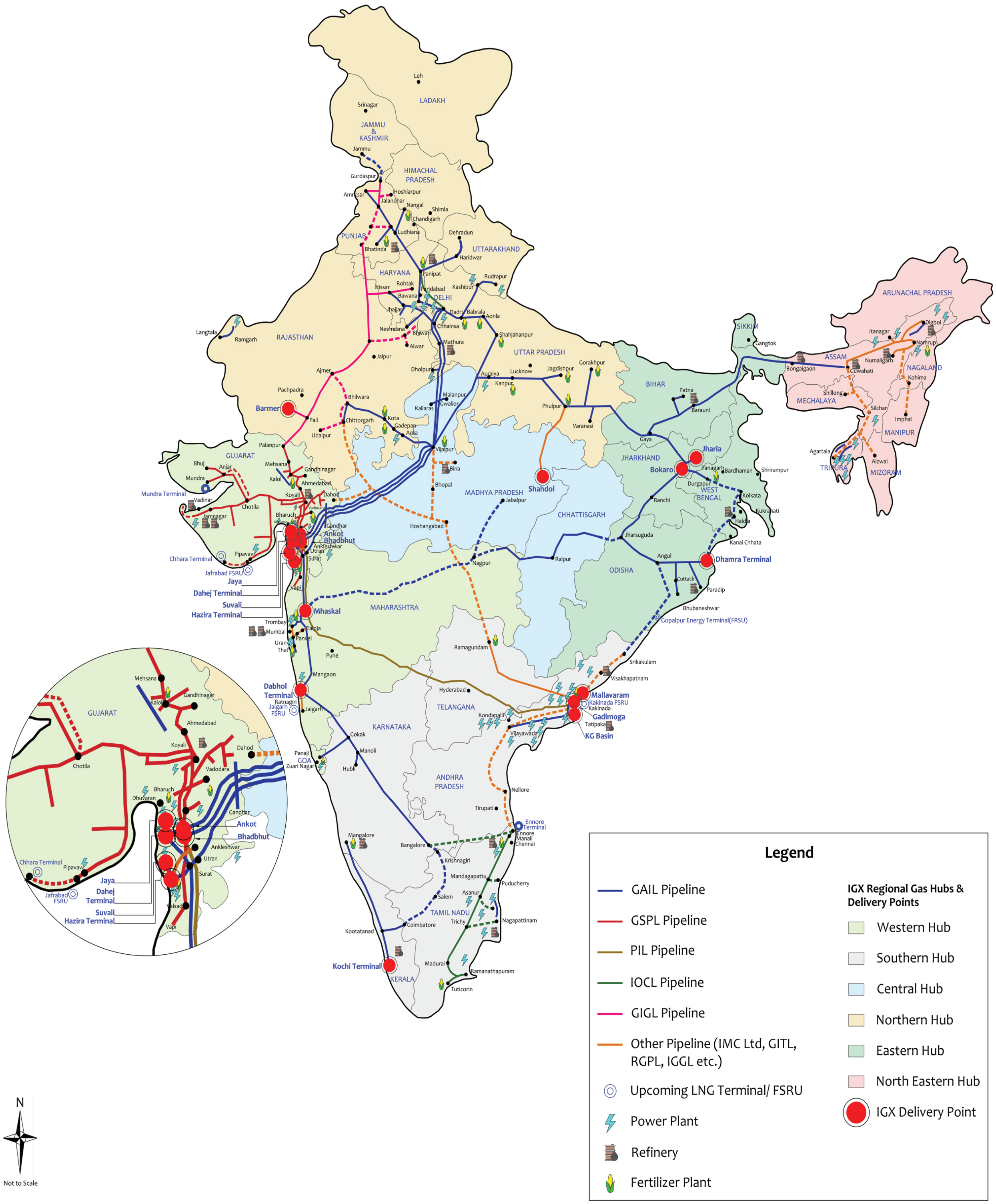

Disclaimer: This map of natural gas infrastructure in India has been prepared as an illustrative and indicative material using information/data readily available in the public domain. Entities are advised to use the map at their own discretion. Indian Gas Exchange (IGX) take no responsibility for the correctness or completeness hereof or any liability or loss derived due to reliance upon the map.